भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website:www.bsgmp.net E mail:scoutguide_bpl@dataone.in Phone ☏: 2661263, Fax: 2737446

क्र./1516 /रा0मु0/यंवा कार्यक्रम /2011 भोपाल, दिनांक 16/6/2011

प्रति,

समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट/गाइड
भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश
संभागीय कार्यालय -----------------म0प्र0 ।

विषय– संभाग स्तर पर स्काउटर/गाइडर सेमीनार के आयोजन बावत् ।
संदर्भः– वार्षिक कार्यक्रमानुसार ।

--00--

राज्य के वार्षिक कार्यक्रमानुसार भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय भोपाल द्वारा संभाग स्तर पर 3 दिवसीय स्काउटर/गाइडर सेमीनार का आयोजन निम्न तिथियों में किया जा रहा है जिसमें केवल स्काउटर/गाइडर ही भाग लेंगें । एल0टी0/ए0एल0टी0 नही ।

क्र0	अवधि	संभाग
1	21 से 23–07–2011	सागर, रींवा, इंदौर
2	23 से 25–07–2011	मुरैना, ग्वालियर, उज्जैन
3	25 से 27–07–2011	शहडोल,जबलपुर, भोपाल एवं होशंगाबाद

शिविर का स्थान सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट/गाइड निर्धारित करेंगें । जहां प्रशिक्षण केन्द्र हैं वहां प्रशिक्षण केन्द्र में ही शिविर आयोजित होगा ।

शुल्क – विकास/विशेष – 50.00 प्रति व्यक्ति शाला निधि से देय
शिविर शुल्क – 150.00 स्वयं को जमा करना होगा ।

व्यय विवरण इस प्रकार रहेगा –

1 शासकीय प्राथमिक /माध्यमिक शाला के शिक्षक/शिक्षिकाओं का व्यय राज्य मुख्यालय वहन करेगा एवं मार्ग व्यय शिविर स्थल पर भुगतान होगा ।

2– अनुसूचित जाति आश्रम शाला, पोस्ट मेट्रिक छात्रावास, उत्कृष्ठ छात्रावास, व आवासीय विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिकाओं का व्यय राज्य मुख्यालय वहन करेगा एवं मार्ग व्यय शिविर स्थल पर देय होगा ।

3–शासकीय हाई/हायर सेकण्ड्री स्कूल के शिक्षक/शिक्षिकाओं का विकास विशेष शुल्क 50/– रुपये संस्था शालेय स्काउट–गाइड निधि से एवं शिविर शुल्क स्वयं द्वारा जमा करना होगा जिन्हे संबंधित विभाग से नियमानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी ।

4– अशासकीय शालाओं के शिक्षक/शिक्षिकाओं का सम्पूर्ण व्यय शालेय स्काउट–गाइड निधि से देय होगा ।

पात्रता– जिलों के चयनित 20 दलों के यूनिट लीडर जो प्रशिक्षित हों तथा अनुसूचित जाति, आवासीय विद्यालय, छात्रावास व आश्रमों के प्रशिक्षित स्काउटर –गाइडर भाग ले सकेगें ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

सामग्री– स्काउट–गाइड पूर्ण गणवेश ए0पी0आर0ओ0 भाग 2,3 के अनुसार, प्रसाधन सामग्री, भोजन करने के बर्तन, –थाली,गिलास,चम्मच,कापी,पेन,3 मीटर सूत की रस्सी,दल का वार्षिक कार्यक्रम दल का प्रगति विवरण (दल में छात्र–छात्राओं की सूची जन्म तिथि,प्रवेश एवं आगे की प्रगति का विवरण) मौसम के अनुसार बिस्तर, उपयोगी दवाईयां साथ लाना अनिवार्य है ।

अतः सेमीनार अति महत्वपूर्ण है जिसमें प्रत्येक जिले से चुनिन्दा 20 यूनिट लीडर तथा अनुसूचित जाति, आवासीय विद्यालय छात्रावास व आश्रमों के प्रशिक्षित स्काउटर –गाइडर को सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सूनिश्चित कर इस कार्यालय को प्रतिभागियों की सूची अनिवार्यतः 10 जुलाई 2011 तक भेंजें ताकि राशि की व्यवस्था समयावधि में की सके ।

सेमीनार का एजेण्डा

1– सेमीनार का उद्वेय ।
2– आधार भूत सिध्दांत ।
3– विद्यालयों में स्काउटिंग/गाइडिंग क्यों आवश्यक है ।
4– दल प्रबंधन एवं ग्रुप कमेटी क्या है ।
5– स्काउट आंदोलन के विकास में स्काउटर/गाइडर की भूमिका ।
6– वर्ष–2011–12 वार्षिक योजना एवं कार्यक्रम ' राज्य से ग्रुप तक ' ।
7– स्काउट–गाइड का प्रगतिशील प्रशिक्षण ।
8– स्काउटर/गाइडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण ।
9– दल संचालन में आने वाली समस्या एवं समाधान ।
10– स्काउटिंग और समुदाय ।

15/6/2011
राज्य सचिव
भारत स्काउटएवं गाइड
मध्यप्रेश

पृ0क्र0/1517 /युवा कार्यक्रम /स्का./2011 भोपाल,दिनांक 16/6/11

प्रतिलिपि :– (सूचनार्थ एवं पालनार्थ)

1– आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल ।
2– आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश भोपाल ।
3– आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल ।
4–संयुक्त सचांलक लोक शिक्षण /उपायुक्त आदिवासी विकास म0प्र0 ।
5–जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त जिला कार्यालय म0प्र0 ।
6–विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी राज्य मुख्यालय भोपाल ।
7– परियोजना संचालक राज्य मुख्यालय भोपाल ।

15/6/2011
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com